

दस रुपये
TEN RUPEES

न्यायालय राजस्थ मण्डल म. प. उपालियर कम्प सागर ५म.पु.४

(1)

निगरानीकर्ता

39-II/107

8/10/2011

नन्हें भाई वल्द लुखे बसोर
ग्राम हटरी तक्सील व जिला दमोह ५म.पु.४

// बनाम //

अनावेदक

फस्तु पिता न्यायालय बसोर

साकिन टोरी तक्सील व जिला दमोह ५म.पु.४

कमिशनर सागर संभाग सागर के अपील प. क्र. 65/अ/56/U4-U5 निर्णय

दिनांक 28/10/2005 से प्रीडिन होकर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त पुनरीक्षण निगरानी करना ५० म.पु. भ. रा. संविता :-
कमिशनर सागर संभाग सागर के अपील प. क्र. 65/अ/56/U4-U5 निर्णय
दिनांक 25/05/2005 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की थी जिसका आदेश
विधि तथा विधि का प्रभाव रखे पाली प्रथा के प्रतिकूल तथा सारवान
विवाध का अधारणा नहीं हो सका है। प्रक्रिया संबंधी गम्भीर
स्व से विनिश्चय में ढुट छुट हो जातिये समयावधि में वह निगरानी
पुनरीक्षण विधि एवं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है :-

-: संक्षिप्त विवरण :-

21
92-12-6

20/02/2011

वह कि, ग्राम सलैया हटरी के पूर्व कोट्यार हरिबा
मुट्ठ हो जाने पर ग्राम सलैया हटरी में कोट्यार का पद रिक्त
गया, पद रिक्त होने से तक्सीलदार मण्डल अभाना द्वारा आदेश
कर दिनांक 27/02/03 को निगरानीकर्ता को अस्थायी कोट्या
किया गया तथा अपना कार्य सुधार स्व से करता रहा, परन्तु
आदेश के विलूप्त अपील आदेश दिनांक 06/07/04 को उक्त वि
कारी की अस्थायी नियुक्ति जो नियमित होना थी उसे दि
प्रकरण सिमाण्ड किया गया, प्रकरण रिमाण्ड होने पर पुनः
महोदय दमोह द्वारा इश्तहार दिनांक 16/09/04 क्र. अ.
को कोट्यार की नियुक्ति बापूत इश्तहार जारी हुआ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

16 ✓

प्रकरण क्रमांक निगरानी 39—दो / 2007

जिला दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
07-04-15 सागर कैम्प	<p>आवेदक पक्ष को नियत पेशी दिनांक का भेजा गया नोटिस तामील उपरांत वापिस प्राप्त। आवेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> प्रशासकीय सदस्य</p>	